20.12.23 यह पत्रावली ADC कोर्ट से स्थानान्तरित होकर बाद पेश हुई। वकील अपीलान्ट या स्वयं अपीलान्ट कोई उपस्थित नहीं। अपीलान्ट को बार-बार आवाजें दिलाई गई। अपीलान्ट की ओर से कोई उपस्थित नहीं आया। अतः अपीलान्ट की अपील बदम हाजरी व बदम पैरवी में खारिज की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद इति दाखिल दफ्तर हो।

सम्भागीय आयुक्त
भरतपुर